



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

No. 532]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

का.आ. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (अ) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा:—

- (i) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)
- (ii) न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)
- (iii) यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट (ईबीआरडी)

[फा. सं. II/21022/23(78)/2018-एफसीआरए-III]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2019

S.O. 649(E).—In exercise of the power conferred by sub-clause (ii) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies that the following international organisations shall not be treated as 'foreign source' for the purposes of the said Act, namely:—

- (i) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- (ii) New Development Bank (NDB)
- (iii) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

[F. No. II/21022/23(78)/2018-FCRA-III]

ANIL MALIK, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2011/आषाढ़ 1, 1933

No. 1195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2011/ASADHA 1, 1933

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

New Delhi, the 20th June, 2011

का.आ. 1433(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी अधिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा :—

S.O. 1433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (j) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, the Central Government hereby specifies that the following international organisation shall not be treated as foreign source for the purposes of the said Act :—

“ग्लोबल डिवेलपमेंट नेटवर्क”

“Global Development Network”

[फा. सं. II/21022/9(1)/2008-एफ.सी.आर.ए.-III]

[F.No. II/21022/9(1)/2008-FCRA-III]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.